10 रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

181

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी क्रमांक — R - 591- II/12 / सन 2012

बाबादीन तनय लछमन अहिरवार नि. मौराहा
तहसील छतरपुर म.प्र. — निगरानीकर्ता

बनाम

1. लखनलाल पिता श्यामलाल पटेल
2. स्वामी प्रसाद पिता. मोतीलाल पटेल
   निवासी गण मौराहा तह. छतरपुर म.प्र. —प्रतिनिगरानीकर्तागण

श्री राम सेवक शर्मा, अभि. द्वारा आज दि. 14-3-12 को प्रस्तुत
14-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के अपील क्रं. 78 वर्ष 2011-12 में प्रथम आदेश शीट दिनांक 2.2.12 के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के तहत ।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रहा है ।

15-3-12

निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ।

1. यह कि भूमि ख. नं. 1158 रकबा 18.85 एकड स्थित ग्राम मौराहा के अन्तर्गत पूर्व में भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज थी, जिसमें ख. नं. 1158/2 रकबा 3.58 है. भूमि निगरानीकर्ता के नाम 2.10.59 के पूर्व यानि संहिता प्रवृत्त होने के पूर्व भूमि स्वामी स्वत्व पर शामिल खाते पर दर्ज होकर संवत 2018 में भी दर्ज रही, जिसकी नौयत- गैरहकदार के रूप में अभिलेखानुसार दर्ज रही जिसमें निगरानीकर्ता को एवं उसमें शामिल खातेदार को गैरहकदार से भूमिस्वामी वर्ष 1974-75 की प्रविष्टि क्रमांक 17/233 को प्रमाणित तहसीलदार महोदय के द्वारा दि. 12.9.75 को करते हुये निगरानी कर्ता की शामिल खाते की भूमि को भूमि स्वामी घोषित किया गया

उपरोक्त प्रविष्टि के अनुसार पटवारी द्वारा निगरानीकर्ता एवं उसके हिस्सेदार को खसरा में अंकित न करते हुए भूमि म.प्र. शासन अंकित अभिलेख में रही जिसके सुधार हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर के समक्ष निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया था। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा आवेदन निराकृत करने हेतु अतिरिक्त तहसीलदार महोदय छतरपुर को प्रत्यावर्तित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-591-दो/2012 जिला छतरपुर बाबादीन विरूद्ध लखनलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 78/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 02-02-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-03-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 18.1.19 सदस्य	